लक्ष्य 6 सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना

2030 तक	
6.1	सब के लिए सुरक्षित एवं किफायती पेय जल की सर्वव्यापक एवं न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चि करना।
6.2	महिलाओं और बालिकाओं तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे लोगों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता की पहुंच सुनिश्चित करना और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।
6.3	प्रदूषण में कमी, कूड़े के ढेर लगाने की प्रथा के उन्मूलन और खतरनाक रसायनो और सामग्री के प्रवाह को न्यूनतम कर के, अनौपचारिक अपशिष्ट जल के अनुपात को आधार करके जल गुणवत्ता को सुधारना तथा वैश्विक स्तर पर जल की रिसाईकिलिंग और सुरक्षित पुनः उपयोग में वृद्धि करना।
6.4	सभी क्षेत्रको में जल उपयोग कुशलता में पर्याप्त वृद्धि करना तथा जलाभाववव का समाधान करने के लिए मीठे जल की संधारणीय निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करना और जलाभाव से पीड़ित लोगों की संख्या में पर्याप्त कमी लाना।
6.5	सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना जिसमें यथोचित सीमा–पार सहयोग भी शामिल है।
6.6	वनो, आद्रभूमि, नदियों, जलदाई स्तरों और झीलों साहित जल संबंधी परितंत्रों का संरक्षण एवं पुनरूद्धार करना।
6.क	विकासशील देशों के लिए जल संचयन, अलवणीकरण, जल कुशलता, अपशिष्ट जल उपचार, रिसाईकिलिंग एवं पुनः उपयोग प्रौद्योगिकियों साहित जल और स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों और कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।
6.ख	जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार करने हेतु स्थानीय समुदायों की सहभागिता का समर्थन और सुदृढ़ीकरण करना।

6

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Core) 2. निर्मल भारत अभियान (Core) 3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 4. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (NRCP)	1. नमामि गंगे समग्र गंगा संरक्षण मिशन 2. नदियों को आपस में जोड़ना	लक्ष्य 6.1	पेयजल एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 6.2	पेय जल एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पंयायती राज
		लक्ष्य 6.3	पर्यावरण मंत्रालय, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार
		लक्ष्य 6.4	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार, कृषि एवं सहकारिता, भूमि संसाधन
		लक्ष्य 6.5	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार, कृषि एवं सहकारिता, भू संसाधन
		लक्ष्य 6.6	पर्यावरण मंत्रालय, वन्य एवं मौसम परिवर्तन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार, भू संसाधन
		लक्ष्य 6.क	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार, पेय जल एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, अतिरिक्त कार्य/विदेश मंत्रालय
		लक्ष्य 6.ख	पंचायती राज, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार, पेय जल एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mappingo80616-DG_o.pdf

खामियां और चुनौतियां

जनगणना 2011 के अनुसार सिर्फ 46.6 प्रतिशत घरों में पीने के पानी की सुविधा है। जहां ये सुविधा है वहां भी ज्यादातर घरों में दूषित पानी आता है। क्योंकि जमीन का निचला स्तर भी औद्योगिक गन्दगी, कीटनाशकों एवं सीवर के कारण जल दूषित हो गया है। शहरों में जलापूर्ति एक मुश्किल काम हो गया है। पानी ज्यादातर दूर दराज के संसाधनों से लाया जाता है। देश की 70 प्रतिशत भूमि में पानी नहीं है। इसी कारण जलापूर्ति सेवा महंगी हो गई है।

यहां तक कि कई कसबों और शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे पर वहां जितना सीवर और दूषितजल का बोझ था उनकी इतनी क्षमता नहीं थी। वह प्रणाली अपर्याप्त एवं पुरानी थी। और जो लोग वहां काम पर थे उनकी संख्या बहुत कम थी। परिणाम यह था कि नीचे और ऊपर खुले में पानी बह रहा था। ऊपरी दूषित पानी झीलों, नदियों, जलधाराओं में मिलकर उन्हें दूषितकर रहा था और वे कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके थे। शहरीएवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच बड़े पैमाने पर था। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा था। जलापूर्ति की अनदेखी की जा रही थी। शौचालयतो सैकड़ों हजारों की तादाद में थे लेकिन जलापूर्ति का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं था। इसका परिणाम यह था कि उनमें से बड़ी संख्या में शौचालय उपयोग में नहीं थे।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जल एवं शौचालय दोनों के प्रबंध के आदेश थे किन्तु जमीनी स्तर पर यह उतना नहीं था जितनी कि जरूरत थी। बांध बनाना, उद्योग एवं सीवर प्रदूषण, मृदा अपरदन और रसायन कृषि एवं खदान जल संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे थे। प्रति व्यक्ति जलापूर्ति 1500उ3है जो कि 1700उ3स्तर के नीचे है। यह पानी की परेशानी का कारण है।

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन जैसे कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय जलविभाजन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान में समुदायों को योजना, डिजाइन, संचालन, स्थानीय जल संरक्षण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंधन में शामिल किया जाए। हालांकि योजना और निगरानी में उनकी सहभागिता के लिए पर्याप्त तंत्र नहीं है इसमें प्रशासन की भी भागीदारी बनती है। इस प्रकार लगभग सभी मिशनप्रशासनिक और नौकरशाही हैं पर उनमें समुदायों से साझीदारी की उपेक्षा की गई है।

6

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना

सुझाओ

1. सूचना एवं तकनीकीय समुदाय की सहभागिता से शहर एवं गांव में जलापूर्ति एवं स्वच्छता का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए।

2. निगम, कमर्शियल स्थापनाएं और सरकारी संस्थान उपभोक्ताओं से उगाही एवं कीमत वसूली के लिए एवं प्रबंधन के लिए तथा अपशिष्ट जल का उपयोग भूमि के लिए सुनिश्चित करने का कार्य करें। यह पंचायतों एवं म्युनिसिपालिटी के लिए निशुल्क होगा और गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लिए पानी और स्वच्छता रियायत दर पर दी जाए।

3. जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में राष्ट्रीय एवं राज्य वित्त आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अनुदान दें।

4. केन्द्रीय भूजल बोर्ड(सीजीडब्ल्यूबी, 2010) द्वारा कृत्रिम रिचार्ज का मास्टर प्लान तैयार किया है उसे अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए जिससे कि देश में जल उपलब्धता को सुधारा जा सके। यह सूचना एवं तकनीकीय रूप से समुदाय की सहभागिता से किया जाए।

5. आजकल जलप्रदूषण पर्याप्त मात्रा में है ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण में न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

6. मैला ढोने, सीवर सफाई आदि कार्य गुलामी के प्रतीक हैं जिसमें सफाई कर्मचारियों को गंदगी में जबरन उतारा जाता है। यह सफाई मशीनों द्वारा की जानी चाहिए साथ ही सेनीटेशन स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाए अन्य विकल्पों के लिए। सफाई कर्मचारी को इससे राहत दी जाए और इसका पुनर्वास किया जाए। यह सुनिश्चत किया जाए कि मानव अधिकारा उल्लंघन के इस कार्य में कोई इन्सान शामिल न हो। सफाई कार्यक्रमों में लगे सभी लोग अनुसूचित जाति से होते हैं उनके जीवन को किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं खतरे से बचाया जाए। वे और उनका परिवार शिक्षा के माधयम से दूसरे प्रतिष्ठित पेशों की ओर मोड कर भेदभाव और इस सामाजिक कलंक को मिटाया जाए।